



128422 - उस व्यक्ति का हुक्म जिसने जमरात को कंकरी मारी फिर अपने देश में जाकर उसके लिए यह स्पष्ट हुआ कि वह सात कंकरी से कम थीं

प्रश्न

जब मेरी माँ हज्ज करने के लिए गई थीं तो वह जमरात को कंकरी मारने के लिए गई, तो उन्होंने ने कुछ कंकरियाँ अपने जेब में रख लीं, चुनांचे उन्होंने ने कंकरी मारी, फिर अपने होटल में वापस आ गई और उस अबाया को निकाल दिया जो पहनी हुई थीं, जब वह हॉलैंड वापस आई तो उन्हें पता चला कि कुछ कंकरियाँ अबाया के जेब में बाक्री रह गई थीं, तो क्या उनके ऊपर इस विषय में कोई चीज़ अनिवार्य है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और स्तुति केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

विद्वानों के बीच इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जमरात को सात कंकरियाँ मारीं, और यही आपका तरीका है, इस बात में कोई संदेह नहीं है।

इब्नुल कैयिम रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

“अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम की हदीस से, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शुद्ध रूप से प्रमाणित है कि आप ने जमरह को सात कंकरियाँ मारी हैं।” अंत हुआ।

“हाशिया इब्नुल कैयिम अला मुख्तसर सुनन अबी दाऊद” (5/312)

विद्वानों ने उस आदमी के हुक्म के बारे में बहुत मतभेद किया है जिसने हज्ज में जमरात को कंकरी मारने की संख्या में कमी कर दी, इस मुद्दे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है जिसकी ओर मतभेद को समाप्त करने के लिए लौटा जा सके।

“अल-मौसूअतुल फिक्हिय्या” (17/80, 81) में आया है :

शाफईया और हनाबिला का मत यह है कि जिस व्यक्ति ने पूरी तरह से कंकरी मारना छोड़ दिया, या एक दिन या दो दिन की कंकरी मारने को छोड़ दिया, और या किसी भी जमरह को कंकरी मारने में तीन कंकरियाँ छोड़ दी, तो उस के ऊपर दम



अनिवार्य है।

शाफईया के निकट एक कंकरी में : एक मुद्द अनिवार्य है, और दो कंकरी में : उसके दो गुना अनिवार्य है।

तथा हनाबिला के निकट एक कंकरी या दो कंकरी के बारे में कई रिवायतें हैं।

“अल-मुग्नी” में आया है कि : इमाम अहमद से प्रत्यक्ष कथन यह है कि एक कंकरी, या दो कंकरी में कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है।

जबकि अहनाफ इस बात की ओर गए हैं कि : अगर हाजी ने चारों दिनों में सभी जमरात को कंकरियाँ मारना छोड़ दिया, या किसी दिन की पूरी कंकरी मारना छोड़ दिया तो उसके ऊपर एक दम (कुर्बानी) अनिवार्य है। तथा इसी के साथ किसी दिन की अधिकतर कंकरियाँ छोड़ देने को भी मिलाया जायेगा, क्योंकि अक्सर का हुक्म पूरे का भी होता है, अतः उसमें भी दम अनिवार्य होगा। किंतु अगर उसने एक दिन की कंकरियों में से कमतर हिस्से को छोड़ दिया है तो उसके ऊपर सद्का करना अनिवार्य है, प्रति एक कंकरी के लिए आधा साअ गेहूं या एक साअ खजूर या जौ अनिवार्य है।

तथा मालिकिया का मत यह है कि : एक कंकरी छोड़ने, या सभी कंकरियाँ छोड़ने में उसके ऊपर एक दम अनिवार्य है।” अंत हुआ।

और हमारे लिए जो बात स्पष्ट होती है - जबकि अल्लाह तआला ही बेहतर ज्ञान रखने वाला है – वह यह है कि यदि उसे यक्रीन है कि उसने एक जमरह से तीन या उससे अधिक कंकरियाँ छोड़ी हैं, तो वह किसी को वकील बना देगी जो उसकी तरफ से मक्का में एक बकरी ज़ब्ह करे और उसे हरम के गरीबों में वितरित कर दे, और यदि उसे यक्रीन नहीं है तो उसके ऊपर कुछ भी अनिवार्य नहीं है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।